चेन झपटमारी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार

थाना स्टेशनगंज पुलिस को मिली सफलता, आरोपियों से माल बरामद

नरसिंहपुर, देशबन्धु। थाना स्टेशनगंज अंतर्गत चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर आरोपियों को 48 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 लाख 50 हजार रूपये कीमत की सोने की चैन एवं एक मोटर साईकिल बरामद की गई।

जानकारी अनुसार दिनांक 26 अप्रैल को विवेक पटैल और उसका बटिहार विनोद पटेल दिन में करीब 2 बजे अपने चना व गेंहू की बिक्री के संबंध में कृषि उपज मंडी नरसिहपुर आये थे जो करीब 9 से 9:30 बजे तक रहे उसके बाद यह लोग अपने घर के लिए जा रहे थे।

इसी बीच केन्द्रीय विद्यालय रोड पर रात्रि करीबन 10 बजे जैसे ही पहुंचें तभी तीन लडको ने इसकी गाड़ी रोक ली जिसमें से एक लड़के ने विवेक पटैल के साथ मारपीट कर गले में पहनी हुई करीब 21 ग्राम की सोने की चैन छीना और भागने लगा तो विवेक एवं इसके साथ विनोद पटेल एवं उसके साथी ने अपनी सुपर स्प्लेन्डर मोटर सायकिल को खड़ी करके उनके पीछे भागे लेकिन यह लोग उनको पकड़ नहीं पाये तो यह वापस अपनी मोटरसायकिल के पास आये तो देखा तो मोटर सायकिल वहां पर नही थी और चैन छीनने वाले लड़के के साथ वाले दोनों लड़के वहां पर नहीं थे थाना स्टेशनगंज में प्रार्थी की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 369/2025 धारा 303 (1), 304 बीएनएस. का पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया।

चैन स्नेचिंग की घटना को दिया था अंजाम – प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन कर आरोपियों की पतसाजी हेतु मुखबिरों को सक्रीय किया गया एवं तकनीकी माध्यमों का उपयोग किया साथ ही प्रार्थी द्वारा बताये गये हुलिया के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी दौरान तलाश के मुखबिर से 3 व्यक्तियों की रानीपिपरिया रोड मगरधा के पास संदिग्ध परिस्थिति में कुछ करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुचकर सूचना अनुसार व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ की गयी जिन्होंने अपना नाम पंकज पिता कुंजीलाल मेहरा उम्र 20 साल, धर्मेन्द्र उर्फ धरमू पिता भोलाराम चौधरी, राजा पिता रामकुमार नौरिया, उम्र 26 साल तीनों निवासी शांतिनगर नकटुआ का होना बताया जिनके द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया साथ ही उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया घटना की पुष्टि होने पर पुलिस ने उन्हे बापर्दा कर अपनी गिरफ्त में लिया जिनसे लूटे गये माल के संबंध में पूछताछ की जिनके द्वारा बताये स्थान से एक मोटरसायकल, 1 सोने की चैन कीमती 2.5 लाख रूपये बरामद कर विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।

इनकी रही मुख्य भूमिका –चैन स्नेचिंग की घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफतारी में निरीक्षक रत्नाकर हिंगवे, सउनि. सतीश राजपूत, प्रआर, आशीष मिश्रा, वरि आर. संजय पांडे, आर. नंदकिशोर कुशवाहा, आर. अंकित विश्वकर्मा, आर. पुष्पराज, आर. मोहित, आर. चालक प्रशांत एवं म. आर. शिवानी शेन्डे की भूमिका रही है।

सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ का गठन

नरसिंहपुर, देशबन्धु। पशु चिकित्सा विभाग के मध्यप्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ जिला शाखा नरसिंहपुर का वार्षिक अधिवेशन सम्पन्न हुआ।

जिसमें नवीन कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में उमेश प्रताप सिंह जबलपुर एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में महेश सुलखिया छिंदवाड़ा से पधारे , जिनके पर्यवेक्षण में भोजराज चौधरी को सर्वसम्मति से सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ नरसिंहपुर का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया।

इनके नाम का प्रस्ताव एस के मेहरा एवं समर्थन हरिहर बुनकर द्वारा किया। आभार प्रदर्शन पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र अवस्थी ने किया। कार्यक्रम उपरांत उपस्थित सभी सदस्यों ने पहलगाम घटना मे दिवंगत आत्माओं हेतु दो मिनट का मौन धारण कर उनके प्रति शोक व्यक्त किया।

सार-समाचार

मेहरा गढ़वाल समाज की बैठक का आयोजन

गाडरवारा, देशबन्धु। मेहरा, गढ़वाल समाज कल्याण परिषद द्वारा जिला स्तरीय बैठक का आयोजन 27 अप्रैल दिन रविवार को महेश्वरी भवन में जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह गढ़वाल, उपाध्यक्ष काशीराम मेहरा, साईंखेड़ा क्षेत्रीय समिति अध्यक्ष गोविंद सिंह गढ़वाल, कोटवार संघ प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार मेहरा की उपस्थिति में स्थानीय महेश्वरी भवन में आयोजित की गई। उक्त बैठक में मातृशक्ति एवं जिले के हर क्षेत्र से उपस्थित सामाजिकजनों ने मां सरस्वती एवं बाबा साहब अंबेडकर के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर एवं संविधान प्रस्तावना के साथ बैठक की शुरुआत की जिसमें मंच संचालन युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष इंजीनियर मुकेश मेहरा ने किया। बैठक में प्रांतीय चुनाव के विषय में विस्तृत चर्चा हुई एवं समाज के होनहार छात्र-छात्राओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया एवं सामाजिक जनों से, युवाओं से अपील की गई की सामाजिक कार्यों में अपनी सहभागिता अवश्य दें। अंतिम कड़ी में राष्ट्रगान के बाद सचिन मेहरा द्वारा आभार व्यक्त कर बैठक समापन किया।

कलार महिला मंडल द्वारा किया सार्वजनिक प्याउ का शुभारंभ

नरसिंहपुर, देशबन्धु। हैहय क्षत्रिय कलार महिला मण्डल नरसिंहपुर द्वारा भीषण गर्मी में आम नागरिकों एवं दूरस्थ गांवों के नागरिकों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनकि प्याउ का शुभारंभ किया गया। मंडल के सदस्यों द्वारा वैशाख माह की सतुवाई अमावश्या के अवसर पर नगर के मध्य चहरहाई हनुमान मंदिर में सार्वजनिक प्याउ के शुभारंभ किया गया तथा कार्यक्रम के दौरान मंदिर के श्रृद्धालुजनों, राहगीरों एवं आम जनों को सत्तु का वितरण एवं शीतल जल वितरित किया गया। इस अवसर पर कलार महिला मंडल की नगर अध्यक्ष प्रीति राय, वरिष्ठ सदस्य गोदावरी राय, पूर्व अध्यक्ष प्रतिभा राय, स्वाति जायसवाल, उपाध्यक्ष ज्योत्सना राय, सचिव दुर्गा राय, कामनी राय, सचि चौकसे, साधना राय, मौली राय, लता राय, मंजू राय, रोशनी राय, सुदामा राय, भागवती राय एव चरहाई महिला मंडल की सिधु नेमा सहित मंडल के सदस्यों की उपस्थित रहीं ।

नेहरू स्कूल में मीडिया के गुर भी सीखेंगे छात्र

नरसिंहपुर, देशबन्धु। अब नरसिंहपुर के ईएफए स्कूल नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट के साथ मोबाइल का उपयोग करके मीडिया प्रबंधन के गुर भी सीखेंगे। इसके लिए ए एवं बी ग्रेड के बच्चे प्रत्येक कक्षा से चयनित किए जाएंगे जो विद्यालय की कंप्यूटर लैब में मौजूद 40 कंप्यूटर्स और आईसीटी लैब के 10 कंप्यूटर्स पर एडोव एक्सप्रेस ऐप डाउनलोड कर मीडिया से संबंधित विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस लैव में उन्हें इंटरव्यू लेना, वीडियो बनाना, स्कूल मैगज़ीन तैयार करना, स्कूल न्यूज़ पेपर बनाना, एक्स्पोज़र, न्यूज़ चैनल की तरह काम करना सिखाया जाएगा ।इसमें बच्चों को इस तरह गाइड किया जाएगा की वे हायरसेकेंडरी करने के बाद टॉप की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। इस हेतु मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल के निर्देशानुसार संभाग के सभी ईएफए स्कूलों के न्यूनतम 60त्न शिक्षकों को शिक्षा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए एडोव एक्सप्रेस का एकदिवसीय प्रशिक्षण महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबलपुर में मुंबई से आए प्रोजेक्ट मैनेजर मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख द्वारा दिया गया। प्राचार्य डा. एके चौबे के निर्देशानुसार नोडल पर्सन आशीष दुबे के मार्गदर्शन में शिक्षकों आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, संजय साहू,रामकुमार पालीवाल, सीताराम मुड़िया, राजेश पटेल, राकेश दुबे, राहुल दुबे, शैलेंद्र व्यौहार, सीमा दीक्षित,नीता डेहरिया, शिराली श्रीवास्तव, शालिनी जाट, माधुरी गुप्ता, मंजू पटेल ,कुंती कतिया, अंजू अवधिया, अंजुम कुरेशी, मंजरी शर्मा, मालती कौछल, दीपा शर्मा, सरिता विश्वकर्मा, नमिता शुक्ला , भावना विश्वकर्मा, रजनीश तिनगुरिया आदि ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

राष्ट्र निर्माण की दिशा में नरसिंहपुर जिले में ऐतिहासिक कार्य

सैनिक स्कूल को भारत सरकार की स्वीकृति मिली

नरसिंहपुर, देशबन्धु । भगवान नरसिंह की धरा पर कैबिनेट मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल के प्रयासों से राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है। मणिनागेन्द्र सिंह फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित सैनिक स्कूल को भारत सरकार द्वारा औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई है। रक्षा मंत्रालय ने गोटेगांव में बन रहे सैनिक स्कूल के लिये स्वीकृति देते हुए शुभकामनाएं दी।

यह सैनिक स्कूल मात्र एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और नेतृत्व के संस्कारों की प्रयोगशाला बनेगा। यहाँ से देश को समर्पित भावी सैनिक और राष्ट्सेवक तैयार होंगे। गौरतलब है कि यह सैनिक स्कूल न केवल नरसिंहपुर बल्कि मध्यप्रदेश के युवाओं के लिए राष्ट्रसेवा के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा।

विद्यालय में आधुनिक सुविधाओं के साथ-साथ छात्रों को देशभक्ति, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और आत्मनिर्भरता के गुणों से भी सुसज्जित किया जाएगा । फाउंडेशन के सचिव सरदार सिंह पटेल द्वारा इस उपलब्धि के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तथा मध्यप्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री एवं फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह पटेल के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया गया है।

साथ ही फाउंडेशन के सभी सदस्यों, सलाहकारों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए विधायक मीडिया प्रभारी वैभव नेमा ने बताया कि मणिनागेन्द्र सिंह फाउंडेशन के सचिव इंजी.सरदार सिंह पटेल ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा है कि यह स्वीकृति हमारे लिए गर्व का विषय है। यह विद्यालय हमारे प्रिय मणिनागेन्द्र सिंह पटेल (मोनू भैया) के सपनों को साकार करेगा।

बाल विवाह करवाते मिले तो दो साल की सजा व एक लाख का जुर्माना

नरसिंहपुर, देशबन्धु। अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 को बाल विवाह रोकने के संबंध में राज्य शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन्हीं निर्देशों के परिपालन में अक्षय तृतीया के अवसर पर जिले की समस्त परियोजनाओं में कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं।

अक्षय तृतीया 30 अप्रैल के तीन दिवस पूर्व 27 अप्रैल से क्रियाशील हो चुके हैं। जिले में बाल विवाह रोकने के लिए विकासखंड नरसिहपुर के अंतर्गत परियोजना अधिकारी श्रीमती पुष्पा मदकोरिया का मोबाइल नंबर 9340929496 व सहायक ग्रेड- 3 सुश्री श्वेता श्रीवास्तव का मोबाइल नंबर 8349871303, विकासखंड करेली व चांवरपाठा के अंतर्गत परियोजना अधिकारी आदित्य मोहन पटेल का मेबाइल नंबर 9826541946, करेली के लिए सहायक ग्रेड 3 मो. वसीम कादरी का मोबाइल नंबर 9424994423 व चांवरपाठा के लिए सहायक ग्रेड 3 रामकुमार पटेल का मोबाइल नंबर 7489097034, विकासखंड गोटेगांव के अंतर्गत परियोजना अधिकारी रश्मि बोहरे का मोबाइल नंबर 9425860094 व सहायक ग्रेड- 3 कु. मानसी उपाध्याय का मोबाइल नंबर 8827087676 और विकासखंड चीचली व सांईखेड़ा के लिए परियोजना अधिकारी उमा वर्मन का मोबाइल नंबर 9826539527, चीचली के लिए सहायक ग्रेड- 3 शिखर तिवारी का मोबाइल नंबर 7987960866 व सांईखेड़ा के लिए सहायक ग्रेड- 3 मदन मोहन शुक्ला का मोबाइल नंबर 7389899954 व 9479472785 पर सम्पर्क किया जा सकता है। जिले की सभी विकासखंड स्तर पर कहीं भी बाल विवाह रोकथाम की सूचना संबंधित टीम को मोबाइल नंबर पर दी जा सकती है। बालविवाह की सूचना मिलने पर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान किया गया है। बालविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत दो साल की सजा एवं एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है।

यदि बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम एवं बालक की उम्र 21 वर्ष से कम है, तो यह शादी बालविवाह के अंतर्गत आती है। बाल विवाह में शामिल होने वाले घोड़े वाले, टेन्ट वाले, पालक, भाई, पंडित, घराती, बराती सभी पर कार्यवाही होगीं।

समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

नरसिंहपुर, देशबन्धु। । कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने टीएल प्रकरणों, स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, विद्युत वितरण विभाग, जल गंगा संवर्धन अभियान आदि की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत सीईओ दलीप कुमार, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, समस्त एसडीएम, विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग, जनपद पंचायत, एमपीईबी और पीएचई के टीएल प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। कलेक्टर ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की समीक्षा की बैठक आयोजित करने और इसमें अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने निर्देश दिये।

कलेक्टर ने निर्देश दिये कि सभी एसडीएम कार्यपालन यंत्री विद्युत से सतत सम्पर्क में रहें। ट्रांसफार्मर को समय पर बदलने पर ध्यान दें। साथ ही विद्युत पोलों से तार टूटने पर कोई जनहानी नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जावे। सभी एसडीएम अपने- अपने क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या की समीक्षा करें।

कलेक्टर ने जिले में नरवाई/ पराली जलाने पर कितने व्यक्तियों पर एफआईआर और जुर्माने की कार्रवाई की जानकारी ली। कलेक्टर ने निर्देश दिये कि कलेक्ट्रेट एवं स्कूलों में गुटखा, तम्बाकू व धूम्रपान का सेवन करने पर संबंधित के विरूद्ध चालानी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिले की सभी शासकीय कार्यालयों में तम्बाकू, गुटखा एवं धूम्रपान निषेध रहेगा, यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लघन करते पाये जाने की स्थिति संबंधित विभाग प्रमुख पर जुर्माने की कार्रवाई की जायेगी।

जिले में चलाये जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की जायेगी। आगामी मानसून की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये।

ग्राम पंचायत मगरमुहा में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

गाडरवारा, देशबन्धु। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष महोदय, श्री अखिलेश शुक्ला, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नरसिंहपुर के निर्देशानुसार एवं तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के अध्य क्ष एवं जिला न्यायाधीश संतोषी वासनिक के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत मगरमुहा, तहसील गाडरवारा में न्यायाधीश पंकज जायसवाल, तृतीय जिला न्यायाधीश गाडरवारा की उपस्थिति में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा द्वारा किया गया ।

उक्त विधिक साक्षरता शिविर मे न्यायाधीश श्री पंकज जायसवाल, तृतीय जिला न्यायाधीश गाडरवारा ने शिविर में उपस्थित समस्त ग्रामीणजन को मोटर दुर्घटना एवं बीमा से संबंधित एवं नामांत्रण की जानकारी दी एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बताया कि वे यदि दुपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का प्रभावशील बीमा करवाते हुए और उस गाडी को चलाने का वैध ड्राईविंग लायसेंस प्राप्त करने के बाद भी सार्वजनिक स्थल पर गाड़ी चलायें और कई बार यह देखने में आता है कि पड़ोसी या रिश्तेदार आवश्यकता बताते हुए दुपहिया या चार पहिया वाहन कुछ देर के लिए मांग कर ले जाते हैं और जिस व्यक्ति के द्वारा गाड़ी का संचालन किया जाता है. वह वैध ड्राईविंग लायसेंस का धारक नहीं होता है और उससे यदि दुर्भावनावश या असावधानीपूर्वक दुर्घटना हो जाती है और यदि उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या उसे गंभीर चोटें आती है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी का मालिक चोटग्रस्त व्यक्ति को या मृत व्यक्ति के वारिसों को लाखों रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान हेतु दायित्वाधीन होता है। यदि चलायी जा रही गाड़ी का वैघ बीमा है और चालक के पास वैध चालन अनुज्ञप्ति है तो दुर्भाग्य या असावधानी के कारण वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है या गंभीर चोटें कारित होती है तो ऐसी स्थिति में वाहन के चालक और वाहन मालिक को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करना होगा बल्कि वाहन की बीमा कंपनी के द्वारा ही उक्त क्षतिपूर्ति का दायित्व वहन किया जाता है। उक्त शिविर में ग्राम पंचायत से अमिता कौरव सरपंच, अंकित कौरव, देवेन्द्र कौरव पंच, महेन्द्र पटैल, मनोज दीक्षित सचिव, राजेन्द्र पारासर, सरोज आशा कार्यकर्ता, श्रीमति रश्मि अहिरवार सहायिका, प्रीति कौरव आंगनवाडी कार्यकर्ता, वती वाई मेहरा सहायिका, सूरज मेहरा ग्राम कोटवार संदीप मेहरा ग्गाम कोटवार एवं समस्त ग्रामीणजन, शिखा सोनी एवं पैरालीगल वॉलेंटियर शेख रहीम की उपस्थिति रही एवं सहयोग प्रदान किया गया।

नाम सुधार सूचना

मैं आशमा बानो पत्नि स्व. शेख रसीद निवासी ग्राम सुपला तह. व जिला नरसिंहपुर म.प्र. का निवासी हूं। मेरी पुत्री नरगिस बी का जन्म दि. 9.7.2008 को कामयनी नर्सिंग होम में हुआ था। यह कि पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या 1281 एवं जावक क्र. 2313 है। जिसमें मेरी पुत्री का नाम जोया खान लिखा हुआ है व पुत्री की माता का नाम आसमा एवं पिता का नाम रसीद खान लिखा हुआ है। जो कि गलत है। मेरी पुत्री का नाम 10वी की अंक सूची में नरगिस बी व माता का आशमा बानो व पिता का नाम शेख रसीद दर्ज है। जो कि सत्य व सही है। मेरी पुत्री का नया डिजीटल प्रमाण पत्र जारी किया जावे जिसमें मेरी पुत्री का नाम नरगिस बी NARGIS BEE एवं माता का नाम आशमा बानो AASMA BANO व पिता का नाम शेख रसीद SHEKH RASHEED दर्ज कर जन्म प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत् शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

शपथकर्ता

नर्मदा नदी तट पर चलाया गया स्वच्छता अभियान

नरसिंहपुर, देशबन्धु। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मप्र जनअभियान परिषद नरसिंहपुर के तत्वावधान में ग्राम पंचायत बरमानखुर्द में नर्मदा नदी के रेतघाट में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण व संवर्धन का संदेश दिया और नर्मदा नदी तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह नुक्कड़ नाटक मप्र जनअभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री जयनारायण शर्मा व विकासखंड समन्वयक चांवरपाठा धर्मेन्द्र चौहान के माध्यम से किया गया।

इकरा हायर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक परिणाम घोषित

नरसिंहपुर, देशबन्धु। ग्राम रॉकई में स्थित दर्सगाह इकरा हायर सेकेंडरी स्कूल द्वारा सत्र 2024 - 25 के वार्षिक परिणाम घोषित किए गए । जिसमें कक्षावार प्रथम द्वितीय और तृतीय रैंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया ।

इकरा तालीमी इदारा द्वारा इस अवसर पर वार्षिक उत्सव (सालाना जल्सा) का आयोजन भी किया गया ।जिसमें मुख्य अतिथि जनाब नवेद अजहर साहब (कैरियर काउंसलर एवं मोटिवेशन स्पीकर, स्टेट सेक्रेटरी ऑल इंडिया आडियल टीचर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश) शामिल हुए, जिन्होंने अपने भाषण में सभी छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करके ही आप एक अच्छे नागरिक और कामयाब इंसान बन सकते हैं।

मार्केट वॉच गाडरवारा

क्लासिफाईड विज्ञापन के लिए अनिल गुप्ता गाडरवारा से संपर्क करें। मोबाईल - 9424328221